रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 1972/पौष 11, 1893
No 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 1972/PAUSA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 11 JAN 1972 GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 1st January 1972

G.S.R. 3(E.)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 7-Customs, dated the 1st January, 1971, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts each of the articles, specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Item or Items of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), specified in column (3) of the said Table, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said Schedule as is in excess of—

(a) the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table where the standard rate of duty is leviable, and

(b) the rate specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table where the preferential rate of duty is leviable.

TABLE

Sl. No.	Name of article	Item No. in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934	Standard rate of duty	Preferential rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Drugs and medicines containing spirits.	22(5)(b)(i) and 22(5)(b)(ii)	Rs. 13.50 per litre or 50 per cent *ad valorem* whichever is higher plus Rs. 5.00 per litre.	Rs. 13.50 per litre or 50 per cent *ad valorem* whichever is higher plus Rs. 5.00 per litre.
2.	Tobacco, unmanufactured.	24(3)	Rs. 25/- per kilogram	Rs. 25/- per kilogram
3.	Iumina imported for the manufacture of Aluminium.	28	15 per cent *ad valorem*	15 per cent *ad valorem*
4.	Chloroquine	28	50 per cent *ad valorem*	50 per cent *ad valorem*
5	(a) Vitamins A and E and vitamin preparations (excluding fish liver oils) free from other therapeutic ingredients.	28(28)(b)	30 per cent *ad valorem*	30 per cent *ad valorem*
	(b) Vitamins other than vitamins A and E.	28(28)(b)	50 per cent *ad valorem*	50 per cent *ad valorem*
6	Wireless transmission apparatus.	73(13)	30 per cent *ad valorem*	30 per cent *ad valorem*

No. 1/F. No. 361/10/71-Cus. I].

D. KRISHNAMURTI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 3(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 7-सीमा-शुल्क, तारीख 1 जनवरी, 1971 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची को ऐसी मद या मदों

और जो उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट है/से अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक वस्तु को, जब उसका भारत में आयात होता है, उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क से उतने भारा से, जो उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, छूट देती है जो--

(क) जहां शुल्क की मानक दर उद्ग्रहणीय है वहां उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर और

(ख) जहां शुल्क की अधिमान दर उद्ग्रहणीय है वहां उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से आधिक्य में हो।

सारणी

क्रम० सं०	वस्तु का नाम	भारत का टैरिफ अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची में मद संख्या	शुल्क की मानक दर	शुल्क की अधिमान दर
1	2	3	4	5
1.	अंत्यक्षेप और औषधियां जिनमें विनिर्दिष्ट हैं।	22(5)(ख)(i) और 22(5)(ख)(ii)	13·50 रु० प्रति लिटर या 50 प्रतिशत मूल्यानुसार इनमें जो भी अधिक हो, पर 5·00 रु० प्रति लिटर।	13·50 रु० प्रति लिटर या 50 प्रतिशत मूल्यानुसार इनमें जो भी अधिक हो पर 5·00 रु० प्रति लिटर।
2.	अविनिर्मित तम्बाकू	24(3)	25/- रु० प्रति किलोग्राम	25/- रु० प्रति किलोग्राम
3.	एलुमिनियम के विनिर्माण के लिए आयातित एलुमिना	28	15 प्रतिशत मूल्यानुसार	15 प्रतिशत मूल्यानुसार

1	2	3	4	5
4.	क्लोरोक्विन	28	50 प्रतिशत मूल्यानुसार	50 प्रतिशत मूल्यानुसार
5.	(क) विटामिन ए और इ और अन्य थ्योरोपेटिक प्रयोग में मुक्त विटामिन विनिर्मितियां (फिश लिवर आयल को अपवर्जित करके)	28(28)(ख)	30 प्रतिशत मूल्यानुसार	30 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(ख) विटामिन ए और इ से भिन्न विटामिन	28(28)(ख)	50 प्रतिशत मूल्यानुसार	50 प्रतिशत मूल्यानुसार
6.	बेतार प्रेषण उपकरण	73(13)	30 प्रतिशत मूल्यानुसार	30 प्रतिशत मूल्यानुसार

[सं० 1/फा० सं० 361/10/71-सीमा-शुल्क-I]

डी० कृष्णमूर्ति, अवर सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 1st January 1972

G.S.R. 4(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods falling under Items of the First Schedule to the Indian Tariff, Act 1934 (32 of 1934), specified in column (2) of the Table hereto annexed, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the duty mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table

THE TABLE

S. No	Item No in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	66(a)	27½ per cent *ad valorem*
2.	66(1)	20 per cent *ad valorem*

[No. 4/F. No. 359/1/71-Cus. I]

J. DUTTA, Dy. Secy

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 4(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की उन मदों के, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, अन्तर्गत आने वाले माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के, जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित शुल्क से अधिक हो।

सारणी

क्रम सं०	भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची की मद सं०	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	66(क)	27½ प्रतिशत मूल्यानुसार
2.	66(1)	20 प्रतिशत मूल्यानुसार

[सं० 4/का० सं० 359/1/71-सी० शु०-1]

ज्योतिर्मय दत्त, उप-सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972